कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

पत्रांक-3266/29-1 दिनांक, वाराणसी, फरवरी, 21 ,2019

सेवा में,

प्रोजेक्ट डायरेक्टर,
बी0एस0बी0-इलाहाबाद, डबलिंग प्रोजेक्ट
रेलवे विकास निगम लि0, वाराणसी ।

विषय- जनपद में इलाहाबाद-वाराणसी रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण हेतु प्रभावित 14.691 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों एवं 48 पौधे कुल 101 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य), लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू0पी0/07/03/2019/एफ-सी/625 दिनांक 13.02.2019।

2.मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की पत्र संख्या 1657/11-सी-FP/UP/Rail/29433/2017, दिनांक 18.02.2019 ।

3.इस कार्यालय की पत्र संख्या 3248/29-1 दिनांक 20.02.2019 ।

महोदय,

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो अन्य के साथ आपको भी पृष्ठांकित है। भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में दिये गये शर्तो की बिन्दू संख्या 1 के अनुसार प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (14.691x2=29.382 हे0) अर्थात 29.382 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक आवश्यक धनराशि रु0 43,44,453.00 (तिरालीस लाख चौवालिस हजार चार सौ तिरपन रुपये मात्र) एवं बिन्दू संख्या 2 (क) के अनुसार एन0पी0बी0 की धनराशि रु0 91,96,566.00 (रु0 इक्यानबे लाख छानबे हजार पाँच सौ छाछठ मात्र) बिन्दू संख्या 2 (ख) के अनुसार जमा करते हुए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गई धनराशि की ऑनलाइन ई-रसीद की छायाप्रति सैध्दान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या (जिसमे जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि एवं एन0पी0बी0 की धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध करायें ताकि प्रस्ताव के स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। एन0पी0बी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं भारत सरकार द्वारा दिये गये समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या आप द्वारा प्राप्त होते ही प्रस्ताव में प्रभावित वृक्षों की पातन एवं कार्य करने की अनुमति की कार्यवाही की जायेगी। उक्त समस्त अभिलेख 5-5 प्रतियों में उपलब्ध करायें।

भवदीय,

(नवीन प्रकाश शाक्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

पत्रांक:- /समदिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को आपके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।

(नवीन प्रकाश शाक्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

पत्रांक : /37 रामनगर, दिनांक, फरवरी 21 ,2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग,
वाराणसी।

विषय : जनपद में इलाहाबाद–वाराणसी रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण हेतु प्रभावित 14.691 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों एवं 48 पौधे 101 वृक्षों /पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : (1 भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्र संख्या–08बी/यू0पी0/07/03/2019/एफ0सी0/625, दिनांक–13.02.2019।

(2 आपका पृष्ठांकित पत्र संख्या–3248/29–1, दिनांक–20.02.2019।

महोदय,

उक्त विषयक प्रकरण में सन्दर्भ संख्या–1 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा पत्र में उल्लिखित विभिन्न शर्तों के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र को सन्दर्भ संख्या–2 के माध्यम से संलग्न करते हुये प्रभावित वन भूमि (14.691x2=29.382 हे0) के दोगुने अर्थात् 29.382 हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) की माँग प्रोजेक्ट डायरेक्टर, बी0एस0बी0–इलाहाबाद डबलिंग प्रोजेक्ट, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, वाराणसी को माँग पत्र प्रेषित किये जाने हेतु अवगत कराया गया है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित परियोजना के वन भूमि हस्तानान्तरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया आपके स्तर से पूर्ण किया जाना है। आपके जनपद में अवनत वन भूमि न होने के कारण आपके पत्रांक–1491/29–1, दिनांक–24.10.2018 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–2282/37, दिनांक–12.11.2018 द्वारा 29.382 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्रस्ताव मु0 4344453.00 (तिरालिस लाख चौवालिस हजार चार सौ तिरपन रु0 मात्र) तत्कालीन दर के आधार पर आगणन करते हुये आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किया जा चुका है। जिसके उपरान्त उच्च स्तर से अग्रिम मृदा कार्य एवं वृक्षारोपण की दर में वर्तमान समय में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। तद्नुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार खरे),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

पत्रांक : 4938 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रोजेक्ट डायरेक्टर, बी0एस0बी0–इलाहाबाद डबलिंग प्रोजेक्ट, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार खरे),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

पत्रांक- 3248/29-1 दिनांक, वाराणसी, फरवरी, 20 ,2019

सेवा में,

प्रोजेक्ट डायरेक्टर,
बी0एस0बी0-इलाहाबाद, डबलिंग प्रोजेक्ट,
रेलवे विकास निगम लि0, वाराणसी ।

विषय- जनपद में इलाहाबाद-वाराणसी रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण हेतु प्रभावित 14.691 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों एवं 48 पौधे कुल 101 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य), लखनऊ का पत्रांक- 8बी/यू0पी0/07/03/2019/एफ-सी/625 दिनांक 13.02.2019।

2.मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की पत्र संख्या 1657/11-सी-FP/UP/Rail/29433/2017, दिनांक 18.02.2019 ।

महोदय,

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो अन्य के साथ आपको भी पृष्ठांकित है। भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में दिये गये शर्तों की बिन्दू संख्या 2 (क) के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 91,96,566.00 (रु0 इक्यानबे लाख छानवे हजार पॉच सौ छाछठ मात्र) बिन्दू संख्या 2 (ख) के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गई धनराशि की ऑनलाइन ई-रसिद की छायाप्रति सैध्दान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या (जिसमे जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि एवं एन0पी0वी0 की धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध करायें ताकि प्रस्ताव के स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं भारत सरकार द्वारा दिये गये समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या आप द्वारा प्राप्त होते ही प्रस्ताव में प्रभावित वृक्षों की पातन एवं कार्य करने की अनुमति की कार्यवाही की जायेगी।

2.भारत सरकार के शर्तो के अनुसार प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (14.691x2=29.382 हे0) पर 29.382 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। उक्त धनराशि के सम्बन्ध में सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी क्योंकि प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र काशी वन्य जीवन प्रभाग के अन्तर्गत है।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के शर्तो के अनुरुप समस्त धनराशि अलग-अलग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन ई-रशिद की छायाप्रति उपलब्ध करवाते हुए भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र में अंकित शर्तो के अनुपालन सूचना उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय,

(नवीन प्रकाश शाक्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

पत्रांकः- /समदिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी को भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि प्रभावित वन भूमि (14.691x2=29.382 हे0) के दोगुने अर्थात् 29.382 हे0 वृक्षारोपण आपके वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित है। उक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) की मांग प्रोजेक्ट डायरेक्टर, बी0एस0बी0-इलाहाबाद डबलिंग प्रोजेक्ट, रेलवे विकास निगम लि0, वाराणसी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. क्षेत्रीय वनाधिकारी, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की प्रभावित वृक्षों की छपान सूची तत्काल उप प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायें.।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

(नवीन प्रकाश शाक्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी